प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 12.11.2024

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 01.08.2024 को थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद पर वादी जहीर पुत्र श्री अजीज निवासी छितरा बस्ती मौहल्ला पठानान थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र शादाब उम्र 30 वर्ष की हत्या कर दी गयी है जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी । तत्पश्चात दिनांक 26.09.2024 को स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आया अभियुक्त बाबू पुत्र शौकत अली निवासी छितरा बस्ती पठानान मौ0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा दिनांक 30.10.2024 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अन्य अभियुक्त शहजादा पुत्र शौकत अली निवासी छितरा बस्ती पठानान मौहल्ला थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दिनांक 11.11.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नईम पुत्र वकील निवासी डबल टंकी के पास चौडा खडंजा नूरगंज मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर पडाब बस अड्डा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त प्रकरण के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 31.07.2024 से लगातार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एवं मृतक के अन्य सभी साथीगणों से पूछताछ की जा रही थी तथा मुखबिरों से भी लगातार संपर्क कर साक्ष्य संकलन किया जा रहा था । इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई तथा संबंधित के मोबाइल डिटेल का भी परीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलन के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त प्रकाश में आये थे । इसी क्रम में घटना के संबंध में ज्ञात हुआ कि बाबू एवं शहजादा का मृतक शादाब से किसी जमानत के कागज को लेकर तथा कुछ पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था जिस कारण बाबू , शहजादा एवं नईम ने मिलकर शादाब की हत्या कर दी थी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त नईम ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं सैटरिंग का काम करता हूँ मुझसे बाबू ने कहा था कि शादाब ने हमारी बहुत बेईज्जती की है अब उसको जीने का अधिकार नही है दिनांक 31.07.2024 को समय करीब 14.00 बजे के आसपास की बात है मैने, शहजादा व बाबू ने शादाब को इशारा करके चौकलेट लाने के बहाने शिवमंगल के प्लाट में बुलवा लिया था। जब शादाब प्लाट में आया तो हम तीनों ने आते ही उसे अपने कब्जे मे लेकर प्लास्टिक की टाई से उसके गले को लाक कर दिया तथा शहजादा तथा बाबू ने चारों तरफ से पकड लिया था, मैंने प्लास्टिक की टाई से गला दबा दिया था शादाब की हमने आवाज भी नही निकलने दी थी और शादाब को मारकर बाडी को छिपाने के उद्देश्य से खण्डहर बने कमरे में छिपा दिया था । बाद में जब मृतक शादाब की तलाश की जाने लगी तब हम सभी लोग तलाश करने में शादाब के घरवालो का साथ देने लगे ताकि किसी को हम पर शक न हो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

नईम पुत्र वकील निवासी डबल टंकी के पास चौडा खडंजा नूरगंज मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अवैध हुक्काबार चलाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 11.11.2024 को थाना मसूरी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पुराना टोल के पास ओयो होटल के बराबर से जा रहे रास्ते पर जिम के नीचे एक कैफे में अन्दर अवैध हुक्का बार चल रहा है जहाँ कुछ लोग हुक्का बार में हुक्का और तम्बाकू उत्पादों का सेवन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना मसूरी पुलिस तत्काल उक्त स्थान पर मौके पर पहुची तो पुलिस को देखकर बाहर खडे

कुछ लडके एक दम से भागने लगे जिससे कैफे के अन्दर मौजूदा भीड़ भी हम पुलिस वालो को देखकर भाग गई। जब पुलिस कैफे के अन्दर पहुँची तो देखा कि अन्दर चारो ओर धुंआ ही धुंआ फैला हुआ है। कैफे के अन्दर से पुलिस ने 02 हुक्के , 01 हुक्के की पाइप, 01 हुक्के के ऊपर लगने वाली चिलम, 01 बिजली की धुंआ करने की मशीन , चारकोल हीटर ,लोहे की कटोरी , हुक्के पर जलाने वाला पीले रंग का पैकेट, 02 छोटी सील बंद पारदर्शी पॉलीथिन में गुलाबी व नांरगी रंग की छोटी प्लास्टिक की पाइप , तथा एक सफेद पॉलीथीन में हल्का लाल रंग का हुक्के में इस्तेमाल होने वाला तम्बाकू बरामद किया गया तथा थाना मसूरी पर पुलिस द्वारा अवैध हुक्काबार चलाने वाले 05 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.11.2024 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1. सचिन पुत्र राजेश निवासी ग्राम सिकरी कला मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 2. इकबाल पुत्र मौ0 अली निवासी वार्ड नं0 15 छज्जा बाजार डासना थाना वेवसिटी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम अपने अन्य 03 साथियों के साथ मिलकर पुराना टोल के पास ओयो होटल के बराबर से जा रहे रास्ते पर जिम के नीचे एक कैफे में अन्दर अवैध हुक्काबार चलाते हैं तथा उससे पैसे कमाकर अपने शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1.सचिन पुत्र राजेश निवासी ग्राम सिकरी कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

2. इकबाल पुत्र मौ0 अली निवासी वार्ड नं0 15 छज्जा बाजार डासना थाना वेवसिटी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

अवैध हुक्काबार से 02 हुक्के , 01 हुक्के की पाइप, 01 हुक्के के ऊपर लगने वाली चिलम, 01 बिजली की धुंआ करने की मशीन , चारकोल हीटर ,लोहे की कटोरी , हुक्के पर जलाने वाला पीले रंग का पैकेट, 02 छोटी सील बंद पारदर्शी पॉलीथिन में गुलाबी व नांरगी रंग की छोटी प्लास्टिक की पाइप , तथा एक सफेद पालीथीन में हल्का लाल रंग का हुक्के में इस्तेमाल होने वाला तम्बाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।